मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

# MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

**(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)**

**गच्चीबौली, हैदराबाद - ५०००३२**

**(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)**

रोजगार अधिसूचना सं.55/2019
दिनांक: 28.05.2019

## सूचना पुस्तिका
## (अन्य शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षिक पद)

आवेदन की अंतिम तिथि**: 08.07.2019**

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی

# MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

## अधिसूचित अन्य शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षिक पदों के संबंध में सूचना पुस्तिका, रोजगार अधिसूचना सं. 55/2019 दिनांक 28.05.2019

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी (मानू) एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी अधिनियम, 1996 (1997 के संसद अधिनियम सं. 2) के माध्यम से अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ स्थापित किया गया है, जो अपने गच्चीबौली, हैदराबाद स्थित मुख्य कैम्पस के लिए निम्नलिखित अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षिक पदों के लिए आवेदनों को आमंत्रित कर रहा है:-

| क्रम.सं. | पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 01. | परीक्षा नियंत्रक | 01 (अनारक्षित) | 1,44,200-2,18,200/- (स्तर 14) |
| 02. | निदेशक- शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद | 01 (अनारक्षित) | 1,44,200-2,18,200/- (शैक्षणिक स्तर 14) |
| 03. | उप-निदेशक - शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद | 01 (अनारक्षित) | 79,800-2,11,500/- (शैक्षणिक स्तर 12) |
| 04. | सहायक निदेशक- शारीरिक शिक्षा एवं खेल-कूद | 01 (अनुसूचित जाति) | 57,700-1,82,400/- (शैक्षणिक स्तर 10) |

### न्यूनतम अर्हताएं, अनुभव, नियुक्ति का प्रणाली आदि का विवरण

**1. परीक्षा नियंत्रक :**

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ निष्णात की डिग्री अथवा प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड, जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है।

(ii) अकादमिक स्तर 11 और उससे अधिक में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या अकादमिक स्तर 12 में 8 वर्ष की सेवा और उससे अधिक में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ हो।

अथवा

अनुसंधान प्रतिष्ठान में तथा / या अन्य उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में तुलनात्मक अनुभव।

अथवा

15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, जिसमें से 8 वर्ष उप-कुलसचिव के रूप में या समकक्ष पद पर हो।

(iii) उर्दू का ज्ञान - पठन, लेखन एवं बोलना

(iv) आयु: 57 वर्ष से कम।

**<u>वांछित</u> :**

(क) मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में पीएच.डी।

(ख) कम्प्यूटरीकृत परिवेश में अन्य तुलनीय परीक्षाओं एवं विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पूर्व-संचालन एवं उत्तर-संचालन में पर्याप्त अनुभव।

नियुक्ति का तरीका: सीधी भर्ती / कार्यकाल / प्रतिनियुक्ति

---

**2. निदेशक - शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद :**

**क** (i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी।

(ii) विश्वविद्यालय उप निदेशक शारीरिक शिक्षा के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव अथवा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा / महाविद्यालय (चयन ग्रेड) के रूप में पंद्राह वर्ष का अनुभव हो।

(iii) कम से कम दो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया हो।

(iv) लगातार अच्छी मूल्यांकन रिपोर्ट।

(v) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाएं और अनुशिक्षण शिविर के आयोजन संबंधी साक्ष्य।

(vi) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दलों / एथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।

**ख** वांछित : उर्दू का ज्ञान ।

---

**3. उप निदेशक - शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद :**

**क.** (i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी की उपाधि। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय प्रणाली से इतर अभ्यर्थी जिनके पास संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा स्नात्कोत्तर उपाधि स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक हो (अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो, वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड)।

(ii) विश्वविद्यालय सहायक डीपीईएस/ महाविद्यालय डीपीईएस के रूप में आठ (08) वर्ष का अनुभव हो, पीएच.डी और एम.फिल डिग्री धारकों के लिए दो और एक वर्ष के लाभ के साथ।

(iii) कम से कम दो सप्ताह की अवधि की प्रतिस्पर्धाएं और अनुशिक्षण शिविर के आयोजन संबंधी साक्ष्य।

(iv) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्विश्वविद्यालयी/ संयुक्त विश्वविद्यालय आदि जैसी प्रतिस्पर्धाओं के लिए दलों / एथलिटों द्वारा बेहतर निष्पादन कराने के साक्ष्य आदि।

(v) यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार शारीरिक स्वस्थता जांच परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

अथवा

**ख.** ओलंपिक खेलों/ विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता, जिन्होंने कम से कम स्नात्कोत्तर स्तर की उपाधि प्राप्त की हो।

**ग.** वांछित : उर्दू का ज्ञान ।

---

**4. शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के सहायक निदेशक**

**क**.

i) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद विज्ञान में 55 प्रतिशत अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली लागू हो वहां प्वाइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) के साथ निष्णात उपाधि।

ii) अंतर्विश्वविद्यालयी/ अंतर्महाविद्यालयी प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/ अथवा राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकार्ड।

iii) उपर्युक्त अर्हताओं को पूरा करने के अलावा, अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार प्रत्यायित समान परीक्षा यथा एसएलईटी/ एसईटी उत्तीर्ण करनी होगी अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल/ पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 अथवा 2016 एवं समय-समय पर इनमें किए गए संशोधनों, जैसा भी मामला हो, के अनुसार शारीरिक शिक्षा अथवा शारीरिक शिक्षा और खेलकूद अथवा खेल विज्ञान में पीएच.डी की उपाधि प्रदान की गई हो:

बशर्ते, कि दिनांक 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं के मौजूदा अध्यादेशों/ उपविधियों/ विनियमों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होंगे तथा ऐसे पीएच.डी धारक अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी :-

क) अभ्यर्थी को पीएच.डी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान की गई हो ;

ख) पीएच.डी शोध प्रबंध का कम से कम दो बाह्य परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन किया गया हो;

ग) पीएच.डी के लिए अभ्यर्थी की एक खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो;

घ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्य से दो अनुसंधान पत्रों को प्रकाशित किया हों जिनमें से कम से कम एक रेफर्ड जर्नल में प्रकाशित हुआ हो;

ङ) अभ्यर्थी ने अपने पीएच.डी कार्यों के आधार पर सम्मेलन/ विचार गोष्ठियों में कम से कम दो पत्रों को प्रस्तुत किया हो।

**नोट:** (क) से (ङ) में दी गई इन शर्तों पर खरा उतरने के संबंद में संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव अथवा संकाय अध्यक्ष(शैक्षणिक कार्य) द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना होता है।

iv. ऐसी विधाओं में निष्णात कार्यक्रमों में एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सीएसआईआर द्वारा एनईटी/ एसएलईटी/ एसईटी अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एसएलईटी/ एसईटी जैसी परीक्षा आयोजित नहीं की जाती हो।

v. इन विनियमों के अनुसार आयोजित की गई शारीरिक स्वस्थता जांच उत्तीर्ण की हो।

अथवा

**ख.** एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता, जिनके पास कम से कम स्नात्कोत्तर स्तर की उपाधि हो।

**ग. वांछित** : उर्दू का ज्ञान ।

---

**यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार शारीरिक शिक्षा के निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक के लिए शारीरिक स्वस्थता जांच संबंधी अनिवार्य मानदंड**

(क) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन सभी अभ्यर्थी जिनके लिए शारीरिक स्वस्थता जांच कराना अपेक्षित है, उन्हें ऐसी जांच करवाने से पूर्व एक चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा कि वह ऐसी जांच करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हैं।

(ख) उपरोक्त उपखंड (क) में वर्णित ऐसे प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को निम्न मानक के अनुसार शारीरिक परीक्षा में भाग लेना अपेक्षित होगा:

| **पुरूषों के लिए मानक** | | | |
|---|---|---|---|
| 12 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा | | | |
| 30 वर्ष तक | 40 वर्ष तक | 45 वर्ष तक | 50 वर्ष तक |
| 1800 मीटर | 1500 मीटर | 1200 मीटर | 800 मीटर |

| **महिलाओं के लिए मानक** | | | |
|---|---|---|---|
| 8 मिनट की दौड़/ चलने की परीक्षा | | | |
| 30 वर्ष तक | 40 वर्ष तक | 45 वर्ष तक | 50 वर्ष तक |
| 1000 मीटर | 800 मीटर | 600 मीटर | 400 मीटर |

**नोट:** महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उप निदेशक / सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा के दो पदों में से एक को प्राथमिकता के साथ एक महिला अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।

---

## सामान्य सूचना

1. चयनित अभ्यर्थियों को सेवा की अनिवर्यता और आवश्यकताओं के आधार पर मुख्य कैम्पस, हैदराबाद या देश में विश्वविद्यालय के किसी भी संस्थान में तैनात किया जा सकता है।

2. यू.जी.सी. (www.ugc.ac.in) / एनसीटीई / एआईसीटीई द्वारा निर्धारित अर्हताएँ जो कि समय-समय पर लागू की जा सकती हैं। उसी में संशोधन / परिवर्तन / सुधार लागू होंगे।

3. शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु अर्हता के उद्देश्य और बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड के मूल्यांकन के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/निशक्त (शारीरिक एवं नेत्र से निशक्त)/अन्य पिछडा वर्ग(नवोन्नत वर्ग) से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। 55 प्रतिशत के पात्रता अंकों (अथवा जहां कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है उस स्थिति में किसी प्वॉइंट स्केल में समतुल्य ग्रेड) और रियायत अंक प्रक्रिया सहित, यदि कोई हो तो, के आधार पर अर्हता अंक में उपर्युक्त उल्लिखित श्रेणियों के लिए 5 प्रतिशत की छूट अनुमेय है।

4. विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 1 के अनुच्छेद - 6 के अनुसार, "विश्वविद्यालय की धारा 4 के अनुसार, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम उर्दू है। अतः एक सामान्य नीति के रूप में, यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी को ("उर्दू भाषा में पढ़ने, लिखने, समझने और पढ़ाने के अपने ज्ञान को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए"), उर्दू माध्यम में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, जिसका चयन साक्षात्कार के समय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।यह शर्त नित्य प्रत्येक विज्ञापन में, योग्यता के अंतर्गत बताई गई है"।

5. उन पीएच.डी. उपाधि धारक अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत (55 प्रतिशत अंक से कम करके 50 प्रतिशत अंक तक) की छूट प्रदान की जाएगी जिन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व निष्णात उपाधि प्राप्त की है।

6. एक संगत ग्रेड जिसे निष्णात स्तर पर 55 प्रतिशत के समरूप माना जाता है, जहां कहीं भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली लागू है, को भी वैध माना जाएगा।

7. निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव न्यूनतम हैं तथा मात्र यह तथ्य कि अभ्यर्थी के पास वही है जो उसे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के लिए पात्र नहीं बनाता। विश्वविद्यालय योग्यता और निर्धारित न्यूनतम से अधिक अनुभव या किसी अन्य शर्त जो उपयुक्त हो, उसके आधार पर एक उचित संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय आवेदनों की जांच और अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची प्रदान करने हेतु अनुवीक्षण समितियों का गठन कर सकता है। परीक्षा / साक्षात्कार के लिए बुलावा पत्र केवल संक्षिप्त-सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को भेजे जाएंगे और उन आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा जो संक्षिप्त-सूची में नहीं हैं।

8. (i) जिन अभ्यर्थियों को वर्ष 2009 के बाद पीएच.डी. प्रदान की गई है उन्हें इस आशय के साथ प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी कि विश्वविद्यालय ने यू.जी.सी. (एम.फिल/ पीएच.डी उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक व प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है।

   (ii) पीएच.डी. पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने के संबंध में अंक-सूची संलग्न करें, यदि लागू हो।

9. विश्वविद्यालय को किसी भी योग्यता, अनुभव, आयु आदि के संबंध में छूट प्रदान करने का अधिकार है।

10. यदि उपयुक्त अभ्यर्थी विज्ञापित पद के लिए उपलब्ध नहीं हो, तो विश्वविद्यालय अभ्यर्थी को निम्न पद की पेशकश कर सकता है, जिन्होंने उच्च पद के लिए आवेदन किया हो ।

11. उपयुक्त व्यक्तियों के नाम पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय मुक्त है जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, परन्तु उनके विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा सिफारिश की गई है।

12. रोजगार अधिसूचना और इस पुस्तिका में सूच्य रिक्तियों की संख्या अनिश्चित है। विश्वविद्यालय चयन के समय पदों की संख्या बढ़ाने / घटाने का अधिकार रखता है, यदि विज्ञापन और चयन समिति की बैठकों के बीच अधिक रिक्तियां विद्यमान होती हैं, तो उसके अनुसार नियुक्तियां कर सकती है।

13. चयनित प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों का पैनल, चयन की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

14. अभ्यर्थी स्वयं के खर्च पर निर्धारित स्थान और समय पर साक्षात्कार में भाग लेंगे। हालाँकि, पीडब्ल्यूडी श्रेणियों से संबंधित बाह्य अभ्यर्थियों को केवल सबसे छोटे मार्ग द्वारा केवल स्वयं के लिए रेल किराए (शायिका श्रेणी) की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि कोई स्टेशन रेल से जुड़ा नहीं है, तो टिकट प्रस्तुत करने पर सबसे छोटे मार्ग से साधारण बस का किराया दिया जाना होगा। उपर्युक्त रियायतें उन पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए स्वीकार्य नहीं होंगी जो पहले से ही केंद्र / राज्य सरकार की सेवा में हैं / या विश्वविद्यालय / स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्थानीय सरकार / पंचायतों के अंतर्गत कोई अन्य रोजगार रखते हैं।

**15. किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करना ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करेगा।**

16. चयन समिति साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की अपनी पद्धति तय कर सकती है। विश्वविद्यालय चयन की एक विधि के रूप में संगोष्ठी या वार्तालाप का उपयोग कर सकती है।

17. सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन या साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा करना होगा ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

18. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आवेदन गत पांच वर्षों के वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के साथ नियोक्ता द्वारा प्रेषित किया जा सकता है तथा सतर्कता अनापत्ति प्रमाण पत्र यथावत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

19. प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन जमा करना होगा। उसी प्रकार, विभिन्न श्रेणियों में एक ही पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अपना आवेदन पत्र अलग से जमा करना होगा।

20. सभी शैक्षणिक पदों के लिए आयु सीमा 65 वर्ष है। राज्य के विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त इच्छुक अभ्यर्थियों को भी पुन: रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा और उनके वेतन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा।

21. भरे गए आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात **08.07.2019** के अनुसार योग्यता, अनुभव इत्यादि की गणना की जाएगी, सभी महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों की स्पष्ट छायाप्रतियों को आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों में किसी भी दस्तावेज / सूचना को सम्मिलित करने के अनुरोध पर विचार और इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

22. किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

23. साक्षात्कार / चयन से संबंधित कोई भी अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. विश्वविद्यालय के पास किसी भी विज्ञापित रिक्त पद को नहीं भरने का अधिकार सुरक्षित है।.

25. किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की डाक की देरी के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

26. भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2004 से आरम्भ की गई नई पेंशन योजना लागू होगी। हालाँकि, यदि चयनित उम्मीदवारों ने केंद्र / राज्य सरकार की सेवाओं में या केंद्र / राज्य सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय / राज्य स्वायत्त निकाय की सेवाओं में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले हो, जैसा कि मामला हो, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन/सं.28-10 / 84-पेंशन यूनिट दिनांक 29 अगस्त, 1984 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्यालय ज्ञापन सं.28- (10) /84-पी एवं पीडब्ल्यू/वाल्यूम.II दिनांक 7 फरवरी 1986 को समय-समय पर संशोधित किया गया और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित या केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के समान पुरानी पेंशन योजना, वे पुरानी पेंशन योजना द्वारा शासित होते रहेंगें। वे इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 26 (2) के अंतर्गत अपनी पिछली सेवाओं की गिनती के लिए पात्र होंगे या कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 अगस्त, 1984 को कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 फरवरी 1986 के साथ पढ़े तो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को उनकी पिछली सेवाओं के लिए प्रो-रिटा रिटायरमेंट लाभों के भुगतान और पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के संदर्भ में वर्तमान रोजगार से तकनीकी इस्तीफा प्रस्तुत करने के अधीन है कार्यालय ज्ञापन सं.28 / 30/2004-पी और पीडब्ल्यू (बी) दिनांक 26 जुलाई, 2005 को संशोधित कार्यालय ज्ञापन के समरूप सं. दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई नियुक्ति को लेने के लिए जहां केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत पेंशन योजना 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के लिए पहले से विद्यमान है।

27. विश्वविद्यालय के विरूद्ध किसी भी विवाद / मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की स्थिति में, क्षेत्राधिकार हैदराबाद के न्यायालय के अंतर्गत रहेगा, जो विश्वविद्यालय का मुख्यालय है।

**आवेदन कैसे करे :**

i) आवेदन पत्र केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट- www.manuu.ac.in पर उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ **पंजीकरण शुल्क ₹.500 / -** के साथ **मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद** के पक्ष में मांग ड्राफ्ट (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से**, हैदराबाद में देय** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में**,** जमा करे सकते है। भरे हुए आवेदन दिनांक **08.07.2019 को या उससे पहले** स्पीड/ रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस पते पर पहुंच जाने चाहिए :

**उप कुलसचिव (स्थापना एवं भर्ती-I),**
**कमरा सं.110 (प्रथम तल) प्रशासनिक ब्लॉक,**
**मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी,**
**उर्दू यूनिवर्सिटी रोड,**
**गच्चीबौली,**
**हैदराबाद - 500 032 (तेलंगाना)**

ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी और महिला अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

iii) जो लोग डाक के माध्यम से आवेदन जमा कर रहे हैं, उन्हें ₹. 5 / - के डाक टिकट के साथ एक अपना पता लिखा लिफाफा संलग्न करना होगा। आवेदक को मांग ड्राफ्ट के पीछे पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है, अपना नाम और पता लिखाना होगा(चेक / मनी ऑर्डर / पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे)। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।अंतिम तिथि के पश्चात और अधूरी जानकारी या बिना अपेक्षित शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा। किसी भी स्तर पर डाक देरी के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

**नोट :** यदि आवेदक सेवा में है और मूल आवेदन पर संबंधित नियोक्ता का अनुमोदन प्राप्त कर विश्वविद्यालय को भेजने में देरी होने की संभावना है, तो आवेदक मूल मांग ड्राफ्ट और सभी अनुलग्नकों के साथ आवेदन की **अग्रिम प्रतिलिपि** प्रस्तुत कर सकता है। मांग ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि मूल आवेदन के साथ संलग्न कर उचित माध्यम / नियोक्ता के माध्यम से भेजी जा सकती है। यदि रोजगार अधिसूचना में उल्लिखित अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय द्वारा उचित माध्यम से मूल आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थी / आवेदक को यदि उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है उसे अपने नियोक्ता से प्राप्त 'अनापत्ति प्रमाणपत्र ' विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के समय जमा करना होगा ।

***आवेदकों को सलाह दी जाती है कि संक्षिप्त सूची में साक्षात्कार के लिए नाम, परिणाम, शुद्धिपत्र, त्रुटियों, चूक आदि के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।***

**कुलसचिव**

**स्थान : हैदराबाद**

**दिनांक :** 28.05.2019